UPKJ010004392026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2, जनपद कन्नौज।
पीठासीन अधिकारी–हरि प्रसाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)
दाण्डिक निगरानी संख्या–30/2026

माया देवी पत्नी स्व० तेज राम,

निवासिनी–ग्राम गूरा थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज।**.....रिवीजनकर्ती।**

बनाम

1. **उत्तर प्रदेश** राज्य वजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, कन्नौज
2. **सर्वेश कुमार पुत्र स्व० संतोष कुमार,**
3. **अभिषेक कुमार पुत्र स्व० संतोष कुमार,**
4. **सीताराम पुत्र स्व० संतोष कुमार,**
5. **दुर्गेश पुत्र स्व० संतोष कुमार,**
6. **श्रीमती ममता उर्फ नेकसी पत्नी स्व० संतोष कुमार,**
7. **बिनीता पुत्री स्व० संतोष कुमार,**
8. **नीता पुत्री स्व० संतोष कुमार,**

निवासीगण–ग्राम गूरा थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज। **.....विपक्षीगण।**

निर्णय

1. **संदर्भित दाण्डिक** निगरानी निगरानीकर्ता/परिवादिनी ने परिवाद संख्या–3814/2023 श्रीमती माया देवी बनाम सर्वेश कुमार आदि थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज के मामले में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.12.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

2. प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इसप्रकार हैं कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद कन्नौज द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.12.2025 विधि विरूद्ध है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज ने अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना आलोच्य आदेश दिनांकित 17.12.2025 पारित कर दिया जिसके कायम रहने से निगरानीकर्ती को न्याय नहीं मिल सकता। परिवादिनी/निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता को पत्रावली में नियत तिथि की जानकारी न हो पाने के कारण विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज के समक्ष प्रार्थिनी स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सकी क्योंकि पत्रावली

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.06.30 11:06:11 IST
Reason: CRIMINAL REVISION ALLOW
Location: ADJ COURT NO 2 KANNAUJ

पूर्व में दिनांक 26–11–2025 नियत थी। उसके पश्चात पत्रावली नीचे आफिस में नहीं आ सकी जिसके कारण परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को जानकारी नहीं हो सकी। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को जानकारी दी गयी कि अभी पत्रावली नीचे आफिस में न्यायालय से नहीं आयी है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली के सम्बन्ध में काफी प्रयास किया गया लेकिन पत्रावली नहीं मिल सकी फिर अभी एक सप्ताह पहले न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया और कहा कि यह पत्रावली नहीं मिल रही है। तदोपरान्त विद्वान अवर न्यायालय ने उक्त पत्रावली को ढूँढने के लिये आदेश किया तब उक्त पत्रावली मिली। तब पता चला कि प्रार्थिनी स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हुयी जिसके कारण परिवाद पत्र खारिज कर दिया गया। निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। उक्त परिवाद में प्रार्थिनी की तरफ से प्रार्थिनी/परिवादिनी व एक गवाह की गवाही हो चुकी है तथा अन्य गवाह की गवाही होनी शेष है। अतः दाण्डिक निगरानी स्वीकार करते हुये विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.12.2025 निरस्त करने की कृपा करें।

3. विपक्षीगण की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुये कथन किया गया है कि प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी तथ्य एवं विधि दोनों के आधार पर निराधार एवं निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष परिवादिनी कई पेशियों तक निरंतर अनुपस्थित रही जिसके कारण विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2025 पूर्णतः विधिसम्मत, न्यायोचित एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधता, अनियमितता अथवा न्यायिक त्रुटि नहीं है। परिवादिनी/निगरानीकर्ती को अपने परिवाद की पैरवी हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये थे किन्तु वह स्वयं तथा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथियों पर उपस्थित नहीं हुई, जिसके कारण न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार परिवाद निरस्त किया गया। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है और प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

4. मैंने निगरानीकर्ती/परिवादिनी, विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद संख्या–3814/2023 श्रीमती माया देवी बनाम सर्वेश कुमार आदि में दिनांक 17.12.2025 को यह आदेश पारित किया गया कि परिवादिनी की लम्बे समय से अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण सर्वेश कुमार, अभिषेक कुमार, सीताराम,

दुर्गेश, श्रीमती ममता उर्फ नेकसी, विनीता एवं नीता को धारा–256 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ प्रदान करते हुए अपराध अन्तर्गत धारा–420 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किया जाता है। उक्त आदेश से असन्तुष्ट एवं क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ती/परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी योजित की गई है।

6. मेरे द्वारा तलबशुदा पत्रावली बाबत परिवाद संख्या–3814/2023 में पारित आदेश दिनांकित 17.12.2025 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी/निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के आधार पर विपक्षीगणों को दिनांक 08.07.2024 को अपराध अन्तर्गत धारा–420 भारतीय दण्ड संहिता में तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये तथा उनके द्वारा जमानत सम्बन्धी प्रावधानों का अनुपालन किया गया। परिवादिनी द्वारा परिवादपत्र में किये गये कथनों के समर्थन में स्वयं, साक्षी संजय कुमार एवं साक्षी रामजीत का बयान अन्तर्गत धारा–244 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। तदोपरान्त पत्रावली शेष साक्ष्य अभियोजन अन्तर्गत धारा–244 दण्ड प्रक्रिया संहिता हेतु दिनांक 03.10.2025 के लिये नियत की गयी। दिनांक 03.10.2025 को पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण पत्रावली दिनांक 26.11.2025 व 08.12.2025 नियत की गयी। उक्त तिथि को परिवादिनी के अनुपस्थित होने के कारण पत्रावली दिनांक 17.12.2025 हेतु साक्ष्य अन्तर्गत धारा–244 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही हेतु नियत की गयी। उक्त तिथि को परिवादिनी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण उक्त आलोच्य आदेश दिनांकित 17.12.2025 पारित करते हुये अभियुक्तगणों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–256 के प्रावधानों के तहत दोषमुक्त किया गया।

7. पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि दिनांक 19.01.2026 को निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली को खोजे जाने हेतु प्रार्थनापत्र विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली के तलाशने हेतु सम्बंधित लिपिक को आदेशित किया गया। तदोपरान्त निगरानीकर्ती/परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गयी। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि निगरानीकर्ती/परिवादिनी को वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में होना कहा गया है जिसकी उम्र वर्तमान समय 75 वर्ष होना कहा गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय का दायित्व था कि वह मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में ही उसके समक्ष प्रस्तुत परिवाद में कार्यवाही करनी चाहिये थी किन्तु विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर उक्त आलोच्य आदेश पारित करते हुये

निगरानीकर्ती/परिवादिनी का परिवाद खारिज किया गया जो कि मेरे अभिमत में विधिसम्मत नहीं है जबकि परिवादिनी/निगरानीकर्ती का परिवाद निर्णय के निकट था।

8. इसप्रकार निगरानीकर्ती/परिवादिनी द्वारा संदर्भित दाण्डिक निगरानी में उठाये गये तर्क में पर्याप्त बल होने के कारण उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार निगरानीकर्ती/परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ती/परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत संदर्भित **दाण्डिक निगरानी संख्या–30/2026 माया देवी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य स्वीकार** की जाती है।

तदनुसार विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद कन्नौज द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.12.2025 **निरस्त** किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि निर्णय में उल्लिखित बिन्दुओं व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर गहनतापूर्वक विचार करने के उपरान्त उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः आदेश पारित करें।

उभय पक्ष **दिनांक 20.07.2026** को विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दिनांक–24.06.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–2 जनपद–कन्नौज।
(J.O.Code No–UP6489)

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनाँकित एवं उदघोषित किया गया।

दिनांक–24.06.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–2 जनपद–कन्नौज।
(J.O.Code No–UP6489)